



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2012/चैत्र 31, 1934

No. 180]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2012/CHAITRA 31, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 311(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तनों, लंगरगाहों, अपतटीय सुविधाओं में पोतों के प्रवेश का विनियमन) नियम, 2012 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे:
परन्तु ये नियम उन जलयानों पर, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले चार्टर किए गए हैं, उनकी प्रारंभ की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् लागू होंगे:

परन्तु यह और कि ये नियम युद्धपोतों जैसे कि नौसेना पोत, सहायक नौसेना पोत और राज्य के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा प्रचालित और तत्समय वाणिज्येत्तर प्रयोजनों के लिए या लोक सेवा प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त जलयानों पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों:-
- 3.

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "समुद्री दावे" से समुद्रीय दावों के लिए दायित्व के परिसीमन पर कन्वेंशन, 1976 के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में यथा परिभाषित दावा अभिप्रेत है;

(ग) "पत्तन प्राधिकारी" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में परिभाषित पत्तन संरक्षक या पत्तन अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "पत्तन सुविधा" से भूमि या समुद्र का कोई ऐसा क्षेत्र या किसी पत्तन के भीतर आने वाली भूमि और समुद्र अभिप्रेत है जिसमें बिना परिसीमा के कोई भवन, संस्थापना फ्लोटिंग टर्मिनल और आवागमन की सुविधा, शिपयार्ड, पोत मरम्मत करने वाले यार्ड या इनके भीतर या इससे संगत क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरण जो या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से पोतों से समान को चढ़ाए या उतारे जाने से संबंधित हो, पोतों से यात्रियों को चढ़ाया-उतारा जाना या अनुरक्षणार्थ या मरम्मत के लिए ऐसा किया जाना, और या फिर पोत के लंगरगाह या पोतों की सेवाओं के प्रावधान के लिए हो, सम्मिलित है;

(ङ) "संरक्षा और क्षतिपूर्ति बीमा" से कटौती योग्य या उसके बिना और क्षतिपूर्ति बीमा सहित ऐसा बीमा अभिप्रेत है जो संरक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों या क्षतिपूर्ति क्लबों या ऐसी अन्य बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाता है जिनमें भारत सरकार समय-समय पर प्राधिकृत करे;

(च) "प्रचालक" से पोत का स्वामी या पोत को प्रचालित करने के लिए इस विभिन्न प्राधिकृत कोई अन्य संगठन या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "पोत अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति या वाणिज्यिक उद्यम अभिप्रेत है जो पोत स्वामियों, मास्टरों, ऑपरेटरों या जलयानों के चार्टरकर्ताओं के लिए और उनकी ओर से करार के अंतर्गत स्थोरा या यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था करवाता है, सूचना उपलब्ध करवाता है, खरीदी या बिक्री या पट्टे की संविदा तैयार करवाता है और उनका निष्पादन करवाता है तथा ऐसे व्यक्तियों या पक्षों के लिए सभी सेवाएं करता है तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है और जो लाभ के लिए सम्यक रूप से कार्यरत हों;

2. प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्ति जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं तथा जो अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।

3. भारतीय पोत को छोड़कर कोई भी जलयान जो तीन सौ टनभार सकल की या इससे अधिक है, जो पत्तनों, टर्मिनलों, लंगरगाहों में प्रवेश करता है या वहां से प्रस्थान करता है या पत्तन सुविधा की मांग करता है, या भारतीय क्षेत्रीय समुद्र में अपतटीय सुविधाओं की मांग करता है, उसके पास समुद्रीय दावों को कवर करने के लिए बीमा होगा और उनके पर्यवेक्षण के लिए नीति और प्रक्रियाएं स्थापित होंगी ।

4. यदि कोई जलयान

i) बीस साल से ज्यादा पुराना तेल उत्पाद या रसायन टंकी जहाज हो; या

- ii) पच्चीस साल से अधिक पुराना सामान्य स्थोरा पोत या बल्क कैरियर या अपतटीय सहयोग जलयान या यात्री जलयान या किसी अन्य प्रकार का स्थोरा जलयान हो; या
 - iii) तीस साल से अधिक पुराना द्रवीकृत प्राकृतिक गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस टंकी जहाज हो;
तो उसे उस वर्गीकरण सोसायटी के साथ वर्गीकृत किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासीफिकेशन सोसायटीज या किसी मान्यता प्राप्त संगठन का सदस्य हो जो भारतीय समुद्रीय प्रशासन द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।
5. भारतीय जलयानों को छोड़कर जलयानों के प्रचालकों के पास भारतीय तटवर्ती समुद्र में प्रवेश के लिए समुद्रीय दावों के लिए विधिमान्य संरक्षा तथा क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी होगी।
 6. पूर्वोक्त नियम 3 और नियम 4 में निर्दिष्ट बीमा में समुद्रीय दावों के दायित्व के परिसीमन पर कन्वेंशन 1976 के अध्यक्षीन समुद्रीय दावे कवर होंगे। प्रति घटना के लिए पोत बीमे की धनराशि उस अधिकतम धनराशि से कम नहीं होगी जो कि समुद्रीय दावों के लिए दायित्व के परिसीमन पर कन्वेंशन 1976 के संशोधन 1996 के प्रोटोकॉल में अधिकथित दायित्व के परिसीमन के लिए अधिकतम धनराशि है।
 7. जलयान का प्रचालक जो किसी भी प्रयोजनार्थ भारतीय समुद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है या भारतीय पत्तन सुविधाओं में आना चाहता है या भारतीय तटीय सेवाओं में आना चाहता है उसे या तो स्वयं या अपने पोत अभिकर्ता के माध्यम से पत्तन या तटीय सेवाओं में प्रवेश करने से अड़तालीस घंटे पहले या भारतीय क्षेत्र के समुद्रों में प्रवेश करने से पहले, जो भी पूर्वोक्त हो, बीमे की पालिसी की प्रतियां, जलयान की श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रतियां संबंधित पत्तन प्राधिकारी को देगा।
 8. नियम 7 में जहाँ दस्तावेजों की प्रतियां अभिकर्ता के माध्यम से दाखिल की जानी हैं, वहां प्रचालक सम्यक रूप से अधिप्रमाणित हस्ताक्षरित घोषणा करेगा कि:-
i) पोत अभिकर्ता की नियुक्ति उस समय से विधिमान्य है जब जलयान भारतीय तटवर्ती समुद्र में प्रवेश करता है तथा ये तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक जलयान भारतीय तटीय समुद्र से चला न जाए; और
ii) प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र उसके सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
 9. प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की अधिकारिता के अधीन या भारत के तटीय समुद्र वाले क्षेत्रों के अंतर्गत पत्तन क्षेत्रों या अपतटीय टर्मिनल में जलयानों के रहने के दौरान यह बीमा पालिसी विधिमान्य रहे।

10. ऐसी विद्यमान संरक्षा और क्षतिपूर्ति पालिसियां जो समुद्रीय दावों के प्रति जलयानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती हैं, रह हो गई हैं, निलंबित कर दी गई हैं या अन्य किसी कारण से अकृत और शून्य हो गई हैं तो प्रचालक तुरन्त ही जलयान के लिए एक नई संरक्षा तथा क्षतिपूर्ति तथा बीमा पॉलिसी लेगा और इस नई या नवीकृत बीमा पॉलिसी की प्रति अपने निकटतम पत्तन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
11. समुद्रीय दावों के लिए बीमा प्रमाण पत्र तथा संरक्षा और क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी मूल रूप में या अनुप्रमाणित प्रति और वर्गीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप में पोत पर रखा जाएगा एवं निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
12. पत्तन प्राधिकारी जलयान की बीमा पालिसी और वर्ग प्रमाण पत्र की विधिमान्यता सत्यापित करेंगे और ये दस्तावेज पोत पर रखे जाएंगे।
13. यदि आवश्यक समझे तो भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी ऐसे जलयान की संरक्षा और क्षतिपूर्ति बीमा तथा वर्गीकरण सोसाइटी के नाम को चेक और सत्यापित कर सकेंगे। यदि जलयान के पास विधिमान्य संरक्षा और क्षतिपूर्ति बीमा तथा वर्गीकरण का प्रमाण पत्र नहीं है तो इस मामले की रिपोर्ट अधिनियम के अधीन समुचित कार्रवाई के लिए तत्काल पोत परिवहन महानिदेशालय को दी जाएगी।

[फा. सं. एस.आर.-12020/2/2011-एमजी]

एम.सी. जौहरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2012

G.S.R. 311(E).— In exercise of the powers conferred by section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958, the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules shall be called the Merchant Shipping (Regulation of Entry of Ships into Ports, Anchorages and Offshore facilities) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that these rules shall apply, to the vessels which are chartered before the commencement of these rules, after the expiry of a period of sixty days from the date of their commencement:

Provided further that these rules shall not apply to warships such as naval ships, auxiliary naval ships and vessels owned or operated by a State and used for the time being for non-commercial purposes or for public service purposes.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);
- (b) "Maritime Claims" means the Claims as defined under article 2 and article 3 of the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976;
- (c) "Port Authority" means the Port Conservator or the Port Officer as defined in the Indian Ports Act, 1908;
- (d) "Port facility" means any area of land or water, or land and water within a port including without limitation any buildings, installations, terminals, floating terminals and transportation facilities, shipyards, ship repair yards or equipment in or on the relevant area used either wholly or partly in connection with the loading or unloading of goods to or from ships, the moving of passengers to or from ships, or for maintenance, repair and or anchorage of ships or for the provision of services to ships;
- (e) "Protection and indemnity insurance" means insurance with or without deductibles, and comprising of the indemnity insurances provided by the members of the International Group of Protection and Indemnity Clubs or such other Insurance Company as authorised from time to time by the Government of India;
- (f) "Operator" means the owner of the ship or any other organisation or any person authorized in this behalf for the operation of the ship;

13825/12-2

(g) "Shipping agent" means any person or commercial enterprise arranging and causing the transportation of cargo or passengers, providing information, preparing for and carrying out the sale or purchase or lease contracts for and on behalf of the ship owners, masters, operators or charterers of the vessels by the agreements they enter into, carrying out all the services and fulfilling the liabilities for such persons and parties duly acting for profit;

(2) words and expressions used but not defined in these rules, and defined in the Act, shall have the same meanings respectively, assigned to them in the Act.

3. Any vessel of three hundred tons gross or more, other than Indian ship, entering into or sailing out of ports, terminals, anchorages or seeking port facilities or Indian offshore facilities in Indian territorial water shall be in possession of the insurance coverage against maritime claims and established policies and procedures for their supervision.

4. If such vessel, is

- (i) an oil product or chemical tanker more than twenty years old; or
- (ii) a general cargo ship or bulk carrier or offshore support vessel or passenger vessel or any other type of cargo vessel more than twenty five years old; or
- (iii) a liquefied natural gas or liquefied petroleum gas tanker more than thirty years old;

it shall be classed with a classification society which is a member of the International Association of Classification Societies or with a recognised organisation duly authorised by Indian maritime administration.

5. The operator of the vessels other than Indian vessels shall have a valid protection and indemnity insurance policy against maritime claims to enter into the Indian coastal waters.

6. The insurance referred to in rule 3 and rule 4 above, shall cover maritime claims subject to the Convention on Limitation of Liability for Maritime

Claims, 1976. The amount of the insurance for a ship per incident shall not be less than the maximum amount for the limitation of liability as laid down in the Protocol of 1996 amending the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims of 1976.

7. The operator of the vessel which intends to enter into the Indian territorial waters or Indian port facilities or Indian offshore facilities for any purpose shall submit either himself or through his shipping agent, forty-eight hours before entering a port or offshore facilities or before entering into the Indian territorial waters, whichever is earlier, the copies of the insurance policy and the Certificate of Class of the vessel to the concerned Port Authority.
8. Where the copies of the documents mentioned in the rule 7 are to be filed through the shipping agent, the operator shall submit a signed declaration duly authenticating that:-
 - (i) appointment of the shipping agent is valid from the time vessel enters Indian coastal waters and shall remain valid till the vessel leaves Indian coastal waters; and
 - (ii) the certificates submitted are true and correct to the best of his knowledge and belief.
9. The operator shall ensure that the insurance policy and the Certificate of Class remains valid during the vessels stay in the port areas or offshore terminal under the jurisdiction of India or areas in the coastal waters of India.
10. Where the existing protection and indemnity policies providing insurance coverage for vessels against maritime claims have been cancelled, suspended or become null and void for any reason whatsoever, the operator shall forthwith obtain a new protection and indemnity insurance policy for the vessel and submit a copy of such new or renewed insurance policy to the nearest Port Authority.
11. The insurance certificate and protection and indemnity insurance policy for maritime claims, in original or a certified copy and Certificate of Class in original, shall be kept on board and available for inspection.

12. The Port Authority shall verify the validity of the insurance policy and the Certificate of Class of the vessel and these documents shall be kept on board.
13. The Indian Coastguard and Indian Navy may also check and verify the protection and indemnity insurance and the name of Classification Society of the vessel, if considered necessary. If the vessel is not in possession of a valid protection and indemnity insurance and certificate of class, the matter shall be reported to the Directorate General of Shipping immediately, for appropriate action under the Act.

[F. No. SR-12020/2/2011-MG]

M. C. JAUHARI, Jt. Secy.